डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवजीन


सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्रं

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8-अ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 जनवरी 2002—पौष 21, शक 1923

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन विज्ञान, एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2002

अधिसूचना

क्रमांक डी-377/1412/उ.शि./2002.—राज्य शासन ''महर्षि विश्वविद्यालय ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नालॉजी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2002'' की धारा (1) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा ग्यारह जनवरी दो हजार दो को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसमें ''महर्षि विश्वविद्यालय अध्यादेश 2002'' संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, विशेष सचिव.

रायपुर दिनांक 5 फरवरी 2002

क्रमांक डी-378/1412/उ.शि./2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खंड 3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 11-1-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, विशेष सचिव.

Raipur, the 5th February 2002

NOTIFICATION

No. D-377/1412/H.E/2002.—In exercise of powers conferred Sub-section (2) of Section (1) of "Maharishi University of Management and Technology Adhyadesh, 2002." the State Government, hereby, appoints the Eleventh January 2002 on which this Adhyadesh "Maharishi University of Management and Technology Adhyadesh, 2002" shall come into force in the whole of Chhattisgarh State.

Pv order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. P. TRIVEDI, Special Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.